धारा 143(1) के अंतर्गत सूचना जारी करना समय से परे अनुदेश संख्या 18/2013
[एफ. सं. 225/196/2013-आईटीए.II], दिनांक 17-12-2013

बोर्ड के ध्यान में कई ऐसे मामले आए हैं, जहां कुछ तकनीकी या अन्य कारणों से (जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पैन का गलत स्थानांतरण और केंद्रीकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ द्वारा क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकारियों को विवरणी जारी करने में देरी शामिल है) आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक में निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित करदाताओं को रिफंड मामलों में सूचना नहीं भेजी जा सकी। इससे शिकायतें हुई हैं क्योंकि निर्धारिती अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपना वैध रिफंड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, हालांकि देरी उनके कारण नहीं है।

2. मामले की जांच की गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अधिनियम की धारा 119(2)(क) के तहत उसमें निहित शक्ति के आधार पर, उन मामलों में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक में निर्धारित समय-सीमा में ढील देता है जहां निर्धारिती द्वारा अधिनियम की धारा 139/142(1) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल की गई थी, लेकिन तकनीकी या अन्य कारणों से जो ऐसे निर्धारिती के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, अधिनियम की धारा 143(1) के तहत सूचना भेजने की तारीख 01-04-2013 से पहले समाप्त हो गई है। ऐसे मामलों में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निर्देश देता है कि इस तरह के विवरणी को संसाधित किया जाएगा और इस तरह के विवरणी के प्रसंस्करण की सूचना उस धारा की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक में निर्धारित समय-सीमा के बावजूद अधिनियम की धारा 143 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा संबंधित निर्धारिती को भेजी जाएगी।

3. ऐसे मामलों के निपटारे की प्रगति की निगरानी अतिरिक्त/संयुक्त सीआईटी द्वारा की जाएगी।

4. यह दोहराया जाता है कि यह निर्देश केवल उन मामलों पर लागू होगा जहां रिफंड के दावे के साथ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आय की वैध विवरणी दायर की गई थी, लेकिन यह निर्धारिती द्वारा बताए गए कारणों के कारण निर्धारित तिथि से आगे लंबित रही। इसके अलावा, यह छूट उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां या तो मांग को आय की वापसी में देय के रूप में दिखाया गया है या धारा 143 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक में निर्धारित तिथि के बाद प्रसंस्करण के परिणामस्वरूप, मांग का निर्धारण देय के रूप में किया जाता है।

5. इसे तुरंत आपके क्षेत्र में काम करने वाले सभी अधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

■■